01.06.2023	प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता श्री महावीरीसिंह कूम्पावत उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित।रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय मे यह प्रस्तुत होकर यह निवेदन किया गया कि अपीलांट अधिवक्ता को न्यायालय की ओर से बार–बार नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी उक्त अधिवक्ता न्यायालय मे आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए है। जो कि न्यायालय के आदेशो की अवहेलना है। इस संबध मे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं नोटिसो का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट गजेन्द्रसिंह द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर मे दिनांक 09.05.2023 को उपस्थित होकर पत्रावली जोधपुर तलब किये जाने एवं माननीय राजस्व मंडल अजमेर के आदेश दिनांक 29.03.2023 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। उक्त निर्णयानुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली को उक्त प्रकरण मे उभयपक्षो को (धारा 5 परिसीमन अधिनियम प्रार्थना पत्र एवं स्थगन आदेश के संबध मे) सुनवाई करते हुए 01 माह के भीतर निस्तारण किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप पत्रावली प्रथम लिंक अधिकारी जोधपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। उसके पश्चात प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 01.06.2023 नियत होने के कारण माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.03.2023 मे अंकित निर्देशो की पालना किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नोटिस जारी कर प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 12.05.2023 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 11.05.2023 को अपीलांट अधिवक्ता के नोटिस पर "**उक्त प्रकरण मे अधिवक्ता पाली न्यायालय मे पैरवी हेतु नियुक्त है चूंकि उक्त प्रकरण मे अन्य पक्षकार सहित काफी पक्षकार है। उक्त अपील के पक्षकारो को जोधपुर न्यायालय मे पैरवी हेतु सूचित करावे। एवं अपीलांट पक्षकार को भी सुनवाई हेतु नोटिस प्रेषित करावे**। बाद टिप्पणी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे प्राप्त हुआ। जिसे पत्रावली के साथ संलग्न किया गया। उसके पश्चात पत्रावली	

राजस्व ... प्राधिकारी
पाली

दिनांक 12.05.2023 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पुन पेश हुई। जिस पर प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 17.05.2023 नियत की गई। उसके पश्चात प्रकरण मे न्यायहित को मद्देनजर रखते हुए अपीलांट अधिवक्ता को न्यायालय की ओर से पुन नोटिस भिजवाते हुए प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 23.05.2023 नियत की गई। उसके पश्चात उक्त पेशी को भी अपीलांट अधिवक्ता एवं स्वंय अपीलांट न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। उसके पश्चात न्यायहित को मद्देनजर रखते हुए अपीलांट अधिवक्ता को पुन नोटिस जारी कर प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 25.05.2023 नियत की गई एवं अपीलांट अधिवक्ता को उक्त पेशी को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर मे प्रकरण मे पैरवी हेतु पेश होने बाबत आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना मे अपीलांट अधिवक्ता को दिनांक 24.05.2023 को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा "**श्रीमान जी का नोटिस आज दिनांक 25.05.2023 को कोर्ट परिसर मे सुबह 9.45 पर प्राप्त हुआ। मुझ अपीलांट अधिवक्ता के पूर्व मे सडक दुर्घटना मे एक्सीडेंट हो गया। आज श्रीमान जी का नोटिस प्राप्त होने पर वह मुझ अधिवक्ता के अन्य प्रकरण पाली न्यायालय मे साक्ष्य/बहस हेतु विचाराधीन होने से मै अधिवक्ता श्रीमान जी के आदेश से जोधपुर आर.ए.ए न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो सकता। आगामी सप्ताह मे श्रीमान जी जो भी पेशी नियत रखेगे उसमे मैं स्वंय अधिवक्ता व पक्षकारान उपस्थित हो जायेगे तथा श्रीमान न्यायालय मे बहस हेतु उपस्थित रहेगे। मुंझ अधिवक्ता की व्यक्तिगत परिस्थितियोवश आगामी पेशी न्यायहित मे ईल्तवा फरमावे। व आगामी पेशी की सूचना दिलावे। आगामी पेशी मेरे मोबाईल नंबर 9950232632 पर जरिये मैसेज भी प्रदान करावे।** की बाद टिप्पणी प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। उसके पश्चात पत्रावली दिनांक 25.05.2023 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा नोटिस पर की गई टिप्पणी को मद्देनजर रखते हुए न्यायहित मे प्रकरण मे पुन नोटिस जारी कर आगामी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पेशी दिनांक 01.06.2023 नियत की गई। उक्त आदेश की पालना मे अपीलांट अधिवक्ता को न्यायालय की ओर से दिनांक 26.05.2023 को पुनः नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे दिनांक 29.05.2023 को अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बाद टिप्पणी "**नोटिस प्राप्त हुआ अपीलांट अधिवक्ता श्रीमान न्यायालय मे दिनांक 01.06.2023 को पाली से जोधपुर दोपहर 2 बजे श्रीमान जी की आदेश की पालना मे उपस्थित रहेगे। नोटिस प्राप्त किया।** प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। उसके पश्चात पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 01.06.2023 को पुनः न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष माननीय राजस्व मंडल के आदेशो की पालना मे सुनवाई हेतु पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दिनांक 26.05.2023 को न्यायालय की ओर से जारी नोटिस पर की गई टिप्पणी के आधार पर दोपहर 02 बजे तक अपीलांट अधिवक्ता एवं स्वंय अपीलांट का इंतजार किया गया एवं न्यायालय की ओर से बार–बार आवाजे लगवाई गई। किन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। उसके पश्चात दोपहर 4 बजे न्यायालय की ओर से पुनः बार–बार आवाजे लगवाई गई। किन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। उसके पश्चात 5.30 पी.एम पर अपीलांट अधिवक्ता एवं स्वंय अपीलांट को न्यायालय की ओर से पुनः अंतिम दफा बार–बार आवाजे लगवाई गई। किन्तु उसके बावजूद अपीलांट अधिवक्ता एवं स्वंय अपीलांट कोई भी उपस्थित नहीं आया। अपीलांट अधिवक्ता को माननीय राजस्व मंडल के निर्देशो की पालना किये जाने के फलस्वरूप सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने हेतु बार–बार नोटिस दिये जाने के बावजूद उक्त अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। जो कि हाजा न्यायालय एवं माननीय राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 29.03.2023 की पूर्ण अवहेलना है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील अपीलांट अधिवक्ता एवं स्वंय अपीलांट की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजिरी अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

01/06/2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली